न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 41/2017/आ.अं. धारा 111 भूराअ

1. मै0 गोविन्दकृपा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्लाट नं0 सी–11, बी दधीची नगर रोड़ नंबर 5 के सामने, मुरलीपुरा, सीकर रोड़ जयपुर जरिये पाटनर्स–
   1. कल्पनाथ गर्ग पुत्र शम्भुदयाल अग्रवाल जाति वैश्य निवासी जयपुर
   2. भवानीप्रसाद माहेश्वरी पुत्र गोपाल लाल माहेश्वरी जाति महाजन निवासी मुरलीपुरा जयपुर
   3. रोहित अग्रवाल पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल जाति महाजन निवासी शास्त्रीनगर जयपुर
   4. नीरज केजरीवाल पुत्र हरीराम केजरीवाल जाति महाजन निवासी सुभाषनगर, जयपुर

– प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत पत्थरगढी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रार्थीगण 1 ता 4 की ओर से

निर्णय दिनांक 11.09.2017

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 23 रकबा 7.10 है0, 47 रकबा 2.95 है0, 48 रकबा 1.36 है0, 48/1025 रकबा 0.76 है0, 54 रकबा 1.31 है0, 55 रकबा 0.01 है0, 56 रकबा 0.02 है0, 57 रकबा 6.48 है0, 58 रकबा 0.10 है0, 59 रकबा 0.58 है0 किता 10 कुल रकबा 20.67 है0 वाके ग्राम बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में से खसरा नंबर 47, 48, 48/1025 किता 3 कुल रकबा 5.00 है0 प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर के यहां आवेदन पेश कर संपरिवर्तन करवा ली जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा चुका है। उक्त भूमियों का आवासीय प्लाटों में विक्रय किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.06.2015 को तहसीलदार, दांतारामगढ के यहां सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर तहसीलदार, दांतारामगढ के आदेशानुसार पटवारी हल्का बनाथला द्वारा दिनांक 27.06.2015 को पक्षकारों की उपस्थिति में चारों सीमाओं का सीमाज्ञान कर सीमायें निर्धारित की जाकर सीमाओं

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

पर छोटे छोटे पत्थर गाढे गये। भूमि खसरा नंबर 54, 48, 55 के पड़ौसी खसरा नंबर 53 जो कि गै.मु. नाला है जो प्रार्थीगण की भूमि से सटता हुआ है जिसकी मालिक राज्य सरकार है। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में दखलंदाजी की जा रही है एवं ग्रामीणों द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है जबकि अन्य खसरा नम्बर के पड़ौसियों द्वारा कोई विवाद नहीं किया जा रहा है। इसलिए अन्य खसरा नम्बरान की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक नहीं है। अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि प्रार्थीगण को अपनी भूमियों में से किसी प्रकार से बेदखल न करें व न ही अपने नौकर, एजेंट आदि से करवायें। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वादीगण/प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 54, 48, 55 की सीमाओं पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.06.2015 के अनुसार पत्थरगढी करवायी जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. बहस प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से है तथा खसरा नंबर 54, 48, 55 के पड़ौसी खसरा नंबर 53 गै.मु. नला राज्य सरकार के नाम से है तथा राज्य सरकार एवं ग्रामीण लोग प्रार्थीगण की भूमि पर दखलंदाजी की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजियात का तहसीलदार, दांतारामगढ से सीमा ज्ञान करवाया जा चुका है एवं सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन है।
4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 177 के खसरा नंबर 23, 47, 48, 48/1025, 54 ता 58 किता 9 कुल रकबा 20.09 है0 की खातेदारी प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के नाम से अंकित है एंव खसरा नंबर 47 2.95 है0, 48 रकबा 1.36 है0 एवं ख.नं. 48/1025/1 रकबा 0.69 है0 किता 3 कुल रकबा 5.00 है0 आवासीय दर्ज हुई है। प्रार्थीगण के द्वारा आवेदित भूमि खसरा नंबर 23, 47, 48, 48/1025, 54 ता 58 किता 9 कुल रकबा 20.09 है0 की सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2015 करवाया गया है एवं सीमाज्ञान से पक्षकार संतुष्ट है। अतः सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2015 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

की भूमि खसरा नबर 23, 47, 48, 48/1025, 54 ता 58 किता 9 कुल रकबा 20.09 है0 में से विवादित आराजियात खसरा नंबर 54, 48, 55 की पत्थरगढी पक्षकारान की उपस्थित में करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 15 दिन में प्रस्तुत करें।

5. यह आदेश आज दिनांक 11.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner